फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

केनरा बैंक , शाखा धौलपुर -II बनाम श्री उमा शंकर वर्मा वगैरा

किस्म मुकदमा: - अंतर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु० नम्बर 14 सन 2022

GCMS 2022/77

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 3/11/2022 | यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटाईजेशन एंड रिकनस्ट्रशन ऑफ़ फ़ाइनेन्सिअल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री शंकर लाल , केनरा बैंक , शाखा धौलपुर -II, ने ऋणी/बंधक कर्त्ता संख्या 1. उमा शंकर वर्मा निवासी 57 पाई बस्ती बिजली घर रोड हॉस्पिटल के पास, धौलपुर -328001 (ऋणी एवं बंधक कर्ता) 2. श्री ब्रज भूषण वर्मा पुत्र श्री उमा शंकर वर्मा निवासी 57 पाई बस्ती बिजली घर रोड हॉस्पिटल के पास धौलपुर- 328001 (ऋणी एवं बंधक कर्ता) 3. श्री धर्मेन्द्र वर्मा पुत्र श्री उमा शंकर वर्मा निवासी 57 पाई बस्ती बिजली घर रोड हॉस्पिटल के पास धौलपुर- 328001 (ऋणी एवं बंधक कर्ता) 4. पूनम वर्मा पुत्री श्री उमा शंकर वर्मा निवासी 57 पाई बस्ती बिजली घर रोड हॉस्पिटल के पास धौलपुर- 328001 (ऋणी एवं बंधक कर्ता) 5. रूपम वर्मा पुत्री श्री उमा शंकर वर्मा निवासी 57 पाई बस्ती बिजली घर रोड हॉस्पिटल के पास धौलपुर- 328001 (ऋणी एवं बंधक कर्ता) 6. श्री राधा रमन वर्मा पुत्र श्री अजब सिंह वर्मा निवासी वार्ड नं 15 सुनार गली राजाखेड़ा धौलपुर राजस्थान - 328001 (जमानती), के विरुद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी केनरा बैंक , शाखा धौलपुर -II ने ऋणी/अप्रार्थी को 1200000/- रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे \| ऋण राशि निम्न परिसंपत्ति, प्रतिभूति करार के अंतर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है: - 1.स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी वर्मा पत्नी श्री उमा शंकर वर्मा की संपत्ति जो कि कस्बा महाद्वार वार्ड नं. 9 राजाखेड़ा खसरा नं. 2333 महाद्वार नं. 1 तहसील राजाखेड़ा , जिला धौलपुर पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि संपत्ति के अभिन्न अंग हैं \| जिसकी माप 163.37 वर्ग गज है जिसकी सीमायें निम्न है : पूर्व में उमाशंकर की सम्पत्ति , पश्चिम में मकान , उत्तर में रास्ता 12 फीट एवं दक्षिण में रास्ता 15 फीट चौड़ा \| ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है \| ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को केनरा बैंक शाखा धौलपुर II द्वारा दिनांक 31.01.2020 को अनर्जक परिसंपत्ति (एन० पी० ए० ) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया \| तथा दिनांक 07.02.2020 को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 8,13,743.79 /- रुपये (आठ लाख तेरह हज़ार सात सौ तेतालीश रूपये उन्यासी पैसे मात्र ) दिनांक 01.02.2020 तक | |

एवं दिनांक 01.02.2020 से आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में ऋण राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी केनरा बैंक शाखा धौलपुर II द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा के तहत निवेदन किया है

हमने प्रार्थी केनरा बैंक शाखा धौलपुर II द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी /बंधक कर्ता द्वारा प्रार्थी केनरा बैंक शाखा धौलपुर II को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी केनरा बैंक शाखा धौलपुर II के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी संपत्ति 1. स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी वर्मा पत्नी श्री उमा शंकर वर्मा की संपत्ति जो कि कस्बा महाद्वार वार्ड नं. 9 राजाखेड़ा खसरा नं. 2333 महाद्वार नं. 1 तहसील राजाखेड़ा , जिला धौलपुर पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि संपत्ति के अभिन्न अंगा हैं। जिसकी माप 163.37 वर्ग गज है जिसकी सीमायें निम्न है : पूर्व में उमाशंकर की सम्पत्ति , पश्चिम में मकान , उत्तर में रास्ता 12 फीट एवं दक्षिण में रास्ता 15 फीट चौड़ा , का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी केनरा बैंक शाखा धौलपुर II को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी जिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 23/11/22 को खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,